अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2022

सं. 15/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 536(अ).—वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 125 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 5क के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 03/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021, जिसे सा.का.नि. 85 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

1. उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“3क.	2710 12 43	12% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल जो कि मिश्रण हो, - (क) आयतन के हिसाब से 88% मोटर स्प्रिट(सामान्यतया जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है), जिस पर यथोचित उत्पाद शुल्क का भुगतान कर दिया गया हो, और 12% एथेनॉल जिस पर यथोचित केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य कर या एकीकृत कर, जो भी स्थिति हो, का भुगतान कर दिया गया हो, और (ख) जो भारतीय मानक ब्यूरो के विशिष्टीकरण IS 17586 को पूरा करता हो।	शून्य
3ख	2710 12 44	15% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल जो कि मिश्रण हो, - (क) आयतन के हिसाब से 85% मोटर स्प्रिट(सामान्यतया जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है), जिस पर यथोचित उत्पाद शुल्क का भुगतान कर दिया गया हो, और 15% एथेनॉल जिस पर यथोचित केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य कर या एकीकृत कर, जो भी स्थिति हो, का भुगतान कर दिया गया हो, और (ख) जो भारतीय मानक ब्यूरो के विशिष्टीकरण IS 17586 को पूरा करता हो।	शून्य ”;

(ii) क्रम संख्या 5 के समक्ष, कॉलम (2) में “वनस्पति तेलो से अभिप्रस वसीय अम्लों की दीर्घ श्रृंखला के एल्किल एस्ट्रो के साथ सम्मिश्रित उच्च गति डीजल तेल, जो सामान्य रूप से जैविक डीजल के रूप में ज्ञात है” शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “एकीकृत कर का संदाय किया गया हो”, शब्दों से समाप्त होने वाले हिस्से के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“आयतन के हिसाब से 20% तक के बायो डीजल के मिश्रण वाले हाई स्पीड डीजल ऑयल, जो कि मिश्रण हों 80% या इससे अधिक के हाई स्पीड डीजल, जिस पर यथोचित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान कर दिया गया हो और 20% तक बायो डीजल, जिस पर यथोचित केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य कर या एकीकृत कर, जो भी स्थिति हो का भुगतान कर दिया गया हो”;

[फा. सं. सीबीआईसी -190354/295/2021-टीआरयू]

विक्रम विजय वानरे, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 03/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021, को सा.का.नि. 85 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 08/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 8 अप्रैल, 2021, सा.का.नि. 252 (अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2021 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2022

No. 15/2022-Central Excise

G.S.R. 536(E).— In exercise of the powers conferred by section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with section 125 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 03/2021-Central Excise, dated the 1st February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 85(E), dated the 1st February, 2021, namely:-

1. In the said notification, in the Table,-

(i) after S. No. 3 and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"3A.	2710 12 43	12% ethanol blended petrol that is a blend, - (a) consisting, by volume, of 88% motor spirit, (commonly known as petrol), on which the appropriate duties of excise have been paid and of 12% ethanol on which the appropriate Central tax, State tax, Union territory tax or Integrated tax, as the case maybe, have been paid; and (b) conforming to the Bureau of Indian Standards specification IS 17586.	Nil
3B	2710 12 44	15% ethanol blended petrol that is a blend, - (a) consisting, by volume, of 85% motor spirit, (commonly known as petrol), on which the appropriate duties of excise have been paid and of 15% ethanol on which the appropriate Central tax, State tax, Union territory tax or Integrated tax, as the case maybe, have been paid; and (b) conforming to the Bureau of Indian Standards specification IS 17586.	Nil";

(ii) against Sl. No. 5, in column (2), for the portion beginning with the words "High speed diesel oil blended with alkyl esters of long chain fatty acids obtained from vegetable oils" and ending with the words "Integrated tax, as the case maybe, have been paid", the following shall be substituted, namely: -

"High speed diesel oil blended with bio -diesel, up to 20% by volume, that is, a blend, consisting 80% or more of high speed diesel oil, on which the appropriate duties of excise have been paid and, up to 20% bio -diesel on which the appropriate Central tax, State tax, Union territory tax or Integrated tax, as the case maybe, have been paid."

[F. No. CBIC-190354/295/2021-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note : The principal notification No. 03/2021-Central Excise, dated the 1st February, 2021 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 85(E), dated the 1st February, 2021 and last amended *vide* notification No.08/2021-Central Excise dated the 8th April, 2021, *vide* number G.S.R. 252 (E), dated the 8th April, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.